संख्या-20/2016/ 1422/33-3-2016-100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 जून 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु डा0राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14(सामान्य) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1683/2016-5/99/2016 दिनांक 24 मई, 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या 14 के अन्तर्गत 2016-17 में प्राविधानित उक्त योजना के लिए प्राविधानित 35000.00 लाख के सापेक्ष रू0 11750.00 लाख (रू0 एक अरब सत्रह करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्म -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू 21.884 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरहित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और

वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब़हत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करनें के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्तजिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्तमुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा dk; ;ktuk मे अनुदान संख्या-14 के अनुसार कुल मांग	;ktuk न्तर्गत अनुदान संख्या-14 मे जनपद को dy आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अमेठी	18	400.000	0.000	400.000	372.500	27.500	400.000	0.745	5.588	0.373	0.373	0.373	6.707	7.452	365.048
2	चित्रकूट	15	350.000	0.000	350.000	325.938	24.062	350.000	0.651	4.889	0.326	0.326	0.326	5.867	6.518	319.420
3	बागपत	20	600.000	0.000	600.000	558.750	41.250	600.000	1.118	8.380	0.559	0.559	0.559	10.057	11.175	547.575
4	बांदा	19	540.000	0.000	540.000	502.875	37.125	540.000	1.006	7.543	0.503	0.503	0.503	9.052	10.058	492.817
5	बस्ती	28	570.000	0.000	570.000	530.812	39.188	570.000	1.062	7.962	0.531	0.531	0.531	9.555	10.617	520.195
6	गोरखपुर	28	650.000	0.000	650.000	605.312	44.688	650.000	1.210	9.080	0.605	0.605	0.605	10.895	12.105	593.207
7	महराजगंज	32	810.000	0.000	810.000	754.312	55.688	810.000	1.509	11.315	0.754	0.754	0.754	13.577	15.086	739.226
8	हापुड़	12	320.000	0.000	320.000	298.000	22.000	320.000	0.596	4.470	0.298	0.298	0.298	5.364	5.960	292.040
9	औरैया	8	190.000	0.000	190.000	176.938	13.062	190.000	0.354	2.654	0.177	0.177	0.177	3.185	3.539	173.399
10	रामपुर	24	590.000	0.000	590.000	549.438	40.562	590.000	1.099	8.242	0.549	0.549	0.549	9.889	10.988	538.450
11	इलाहाबाद	43	1020.000	0.000	1020.000	949.875	70.125	1020.000	1.900	14.248	0.950	0.950	0.950	17.098	18.998	930.877

12	शामली	17	510.000	0.000	510.000	474.938	35.062	510.000	0.950	7.124	0.475	0.475	0.475	8.549	9.499	465.439
13	मेरठ	12	370.000	0.000	370.000	344.562	25.438	370.000	0.689	5.168	0.345	0.345	0.345	6.203	6.892	337.670
14	कानपुर देहात	11	270.000	0.000	270.000	251.438	18.562	270.000	0.503	3.772	0.251	0.251	0.251	4.525	5.028	246.410
15	मऊ	26	580.000	0.000	580.000	540.125	39.875	580.000	1.080	8.102	0.540	0.540	0.540	9.722	10.802	529.323
16	खीरी	19	490.000	0.000	490.000	456.312	33.688	490.000	0.913	6.845	0.456	0.456	0.456	8.213	9.126	447.186
17	अम्बेडकर नगर	18	380.000	0.000	380.000	353.875	26.125	380.000	0.708	5.308	0.354	0.354	0.354	6.370	7.078	346.797
18	हमीरपुर	16	440.000	0.000	440.000	409.750	30.250	440.000	0.820	6.146	0.410	0.410	0.410	7.376	8.196	401.554
19	बलरामपुर	8	190.000	0.000	190.000	176.938	13.062	190.000	0.354	2.654	0.177	0.177	0.177	3.185	3.539	173.399
20	मुजफ्फर नगर	18	500.000	0.000	500.000	465.625	34.375	500.000	0.930	6.984	0.466	0.466	0.466	8.382	9.312	456.313
21	सहारनपुर	19	490.000	0.000	490.000	456.312	33.688	490.000	0.913	6.845	0.456	0.456	0.456	8.213	9.126	447.186
22	सन्तकबीर नगर	24	510.000	0.000	510.000	474.938	35.062	510.000	0.950	7.124	0.475	0.475	0.475	8.549	9.499	465.439
23	गौतमबुद्ध नगर	6	140.000	0.000	140.000	130.375	9.625	140.000	0.260	1.956	0.130	0.130	0.130	2.346	2.606	127.769
24	बिजनौर	20	430.000	0.000	430.000	400.437	29.563	430.000	0.800	6.007	0.400	0.400	0.400	7.207	8.007	392.430
25	अमरोहा	18	410.000	0.000	410.000	381.812	28.188	410.000	0.764	5.727	0.382	0.382	0.382	6.873	7.637	374.175
कुल		479	11750.000	0.000	11750.000	10942.187	807.813	11750.000	21.884	164.133	10.942	10.942	10.942	196.959	218.843	10723.344

(रुपया एक अरब सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।